

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—134/2022 (2022/342) प्रार्थना पत्र

### अनवान

1. गोटुसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरपतसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पर्वतसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालुसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भगवानसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरकंवर पत्नि कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भंवरकंवर पुत्री भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मदनसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. महेन्द्रसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. रूकमणकंवर पत्नि मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रणसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. शंकरसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शिवसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

### बनाम

1. कैसा पिता मुला गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भुरा पिता मुला गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारु पिता नानु गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगाराम पिता जालु सुथार निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामीदेवी पत्नि देवीलाल जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अमरसिंह पिता नाथुदान चारण निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भैरु पिता रूपा सुथार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नारायणलाल पिता भैरूलाल सुथार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरज कंवर पुत्री भभुत सिंह निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट



उपस्थित

1. अमरसिंह चारण —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है  ग्राम बकाण पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के  आराजी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1455 रकबा 0.98 है0, आराजी संख्या 1458 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 1459 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 1460 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1461 रकबा 0.60 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.92 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 209 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान

Bx



आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 10.09.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 20.09.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1455 रकबा 0.98 है0, आराजी संख्या 1458 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 1459 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 1460 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1461 रकबा 0.60 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.92 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 209 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर, जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—134 / 2022 (2022 / 342) प्रार्थना पत्र

### अनवान

1. गोटुसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नरपतसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पर्वतसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बालुसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भगवानसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भंवरकंवर पत्नि कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भवरकंवर पुत्री भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. भंवरसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. भंवरसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मदनसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. महेन्द्रसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. रूकमणकंवर पत्नि मोहनसिंह राजपूत नि0 लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. रणसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. शंकरसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. शिवसिंह पिता भभुतसिंह राजपूत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

### बनाम

1. कैसा पिता मुला गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भुरा पिता मुला गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारू पिता नानु गाडरी निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गंगाराम पिता जालु सुथार निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामीदेवी पत्नि देवीलाल जाट निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. अमरसिंह पिता नाथुदान चारण निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भैरू पिता रूपा सुथार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नारायणलाल पिता भैरूलाल सुथार निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरज कंवर पुत्री भभुत सिंह निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक



By

23.11.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1455 रकबा 0.98 है0, आराजी संख्या 1458 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 1459 रकबा 0.52 है0, आराजी संख्या 1460 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 1461 रकबा 0.60 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.92 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 209 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक सयपुर, जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)